रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन.) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 51] नई दिल्ली, दिसम्बर 16—दिसम्बर 22, 2012, शनिवार/अग्रहायण 25—पौष 1, 1934
No. 51] NEW DELHI, DECEMBER 16—DECEMBER 22, 2012, SATURDAY/AGRAHAYANA 25—PAUSA 1, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2012

का. आ. 3621.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालय में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 80% से अधिक हो जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा अधिसूचित करती है :

99 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल,
जालिया,
जिला – बाड़मेर, राजस्थान

[सं. 12017/1/2012-हिन्दी]
अवधेश कुमार मिश्र, निदेशक (राजभाषा)

Sano— 3636
fileno:- 43015/07/2012-PR1W-I
Block: Bina Kakin Amalgamation of Project.

New Delhi, the 20th December, 2012

S.O. 3635.—In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certificate) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below have cancelled/suspended with effect from the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Licences No. CM/L-	Name & Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standards covered by the licence cancelled/suspension	Date of Cancellation
1.	7517274	M/s. Amul Engineers, 17, Samrat Industrial Area, Gokuldham Main Road, Sagar Estate Street, Rajkot, Gujarat-360004	Submersible Pumpsets-Specification	18-7-2012

[No. CMD/13 : 11]

M. RADHAKRISHNA, Scientist 'F' & Head

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2012

का. आ. 3636.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

और रेखांक संख्या एनसीएल/मुख्यालय/राजस्व/2012/66, तारीख 19 अप्रैल, 2012 को उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि का क्षेत्र अन्तर्विष्ट किया गया है, का निरीक्षण महाप्रबंधक (राजस्व/पुनर्स्थापन एवं पुनर्स्थापन), नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली पिन-486889, मध्य प्रदेश के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माईन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता के कार्यालय में या जिला कलेक्टर सिंगरौली मध्य प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति–

(i) अधिनियम की धारा 6 के अधीन धारित किसी नुकसानी या उसकी धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन धारित होने वाले नुकसान की संभावना के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा;

(ii) अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन समाप्त हो गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के संबंध में या धारा13 की उप-धारा (4) के अधीन समाप्त हो गए खनन पट्टे के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को सुपुर्द करेगा।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, महाप्रबंधक (राजस्व/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन), नार्दर्न कोलफील्ड्स, लिमिटेड, सिंगरौली पिन-486889, मध्य प्रदेश को भेजेंगे :

अनुसूची

बीना–ककरी एकीकरण ओपनकास्ट परियोजना

(चंदेला, टिप्पा झरिया, रूहेला, मरंक और उत्तर प्रदेश ब्लाक, जीओलाजिकल ब्लॉक्स)

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली

जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या एनसीएल/मुख्यालय/राजस्व/2012/66, तारीख 19 अप्रैल, 2012)

क्रम सं	गांव का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल हेक्टेयर में (लगभग)	क्षेत्रफल एकड़ में (लगभग)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चूरीदह	60	सिंगरौली	सिंगरौली (म.प्र.)	132.00	326.17	भाग
2.	झिंगुरदा	60	सिंगरौली	सिंगरौली (म.प्र.)	48.00	118.61	भाग
				कुल क्षेत्रफल	180.00 (लगभग)	444.78 (लगभग)	

सीमा वर्णन :

क–ख रेखा ग्राम करवारी और झिंगुरदा की उभयनिष्ट सीमा के बिन्दु "क" से आरम्भ होती है, और ग्राम झिंगुरदा से होकर गुजरती है तथा बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख–ग रेखा बिन्दु "ख" से आरम्भ होती है, और ग्राम झिंगुरदा तथा चूरीदह व पुन: ग्राम झिंगुरदा से होकर गुजरती है तथा बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग–घ रेखा बिन्दु "ग" से आरम्भ होती है, और ग्राम झिंगुरदा से होकर गुजरती है तथा मध्य प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य की उभयनिष्ठ सीमा के बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ–ङ रेखा बिन्दु "घ" से आरम्भ होती है, तथा मध्य प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य की उभयनिष्ठ सीमा से होकर गुजरती है तथा बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ–क रेखा बिन्दु "ङ" से आरम्भ होती है और ग्राम चुरीदह तथा ग्राम झिंगुरदा और ग्राम करवारी की उभयनिष्ठ सीमा पर से होकर जाती है और यही लाईन पूर्व अर्जित दुधीचुआ ब्लाक–1 की अर्जित सीमा पर से होकर गुजरती है तथा आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015/7/2012–पीआरआईडब्ल्यू–I]

बी. एस. राणा, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 17th December, 2012

S.O. 3636.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number NCL/HQ/Revenue/2012/66, dated the 19thApril, 2012 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the General Manager (Revenue/Rehabilitation

and Resettlement), Northern Coalfields Limited,Singrauli Pin-486889, Madhya Pradesh or at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute; Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata or at the office of the District Collector, Singrauli, Madhya Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the said Schedule.

Any person interested in the land described in the said Schedule may :

(i) claim compensation under section 6 of the Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof.

(ii) claim compensation under sub-section (1) of section13 of the Act in respect of prospecting licenses ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the office of the General Manager (Revenue/Rehabilitation and Resettlement), Northern Coalfields Limited,Singrauli Pin-486889, Madhya Pradesh, within a period of ninety days from the date of the publication of this notification.

SCHEDULE

Bina Kakri Amalgamation Opencast Project
(Chandela, Tipa Jharia, Ruhela, Marrak and Uttar Pradesh Block, Geological Blocks)
Northern Coalfields Limited, Singrauli
District-Singrauli (Madhya Pradesh)

(Plan bearing number NCL/HQ/Revenue/2012/66, dated the 19th April, 2012)

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle number	Tahsil	District	Area in hectares (approximately)	Area in acres (approximately)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Churidah	60	Singrauli	Singrauli (M.P.)	132.00	326.17	Part
2.	Jhingurda	60	Sngrauli	Singrauli (M.P.)	48.00	118.61	Part
			Total Area :		180.00 (approximately)	444.78 (approximately)	

Boundary Description :

A—B The line starts from common village boundary of village Karwari and Jhingurda from point 'A' and passes through village Jhingurda and meets at point 'B'.

B—C Line starts from point 'B' and passes through Village Jhingurda and Churdah again passes through village Jhingurda and meets at point 'C'.

C—D Line starts from point 'C' and passes through village Jhingurda and meets on common State boundary of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh at point 'D'.

D—E Line starts from point 'D' and passes through common State boundary of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, and meets at point 'E'.

E—A Line starts from point 'E' and passes through village Churdah and through common village bundary of village Karwari and Jhingurda and the same line passes over the previously acquired boundary of Dudhichua Block-I and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/7/2012-PRIW-I]
V. S. RANA, Under Secy.